| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 02, शुक्रवार, *शाके* 1946-मार्च 22, 2024<br>*Chaitra 02, Friday , Saka 1946- March 22 , 2024* | |


**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**सार्वजनिक निर्माण विभाग**

**(खण्ड-द्वितीय सीकर)**

अधिसूचना

**सीकर, मार्च 16, 2024**

**[अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 (1) ]**

**संख्या 6161298** :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(150)राज-6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार **सीकर जिले की धोद तहसील में सीकर-लोसल सड़क मार्ग (एसएच-37बी) पर धोद बाईपास सड़क निर्माण परियोजना अन्तर्गत प्रभावित गांव धोद** में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित हैं।

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-द्वितीय सीकर द्वारा**"वंश कंसलटेन्सी, वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, (राज) 332713"**एजेन्सी का चयन किया गया हैं।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गांव में सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांव में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित गांव में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गांव में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्याकंन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शुन्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र:-

**सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई**

कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड-द्वितीय सीकर, जिला- सीकर (राज) 332001
फोन नं. 9414013555
ई-मेलः eepwddn2sikar@rediffmail.com

**सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी**

वंश कंसलटेन्सी,
प्रतिनिधि: अमित कुमार, मोबाईलः 9694916630
कार्यालयः वार्ड नं. 15, नीमकाथाना, (राज) 332713
ई-मेलः vanshconsultancy26@gmail.com

**आदेश द्वारा,**

सुनील गुप्ता,
**संयुक्त सचिव (पथ),**
**सा.नि. विभाग,**
**राजस्थान जयपूर।**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**